दिनांक 11 अप्रैल, 2018 को निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उ0प्र0 की अध्यक्षता में सूडा/डूडा के माध्यम से संचालित योजनाओं की मासिक समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

सूडा के पत्रांक– 84/110/तीन/97–VII दिनांक 09–04–2018, द्वारा निर्गत पत्र के माध्यम से दिनांक 11 अप्रैल, 2018 को समस्त जनपदों के परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारियों एवं शहर मिशन प्रबन्धकों के साथ सूडा द्वारा संचालित योजनाओ– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी) तथा अन्य सभी योजनाओं की जनपदवार विस्तृत समीक्षा की गयी। समीक्षा बैठक का बिन्दुवार कार्यवृत्त निम्नवत् है :–

दीनदयाल अन्त्योदय योजना– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM)

दीनदयाल अन्त्योदय योजना –राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18, की समीक्षा में सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अन्तर्गत SHG गठन में लक्ष्य के सापेक्ष 81 प्रतिशत उपलब्धि पाई गई है। मिशन के अन्तर्गत चयनित 130 शहरों में से 42 शहरों ने शतप्रतिशत लक्ष्य पूर्ण किया जिस पर संतोष व्यक्त करते हुए संबंधित शहरों के टीम की प्रशंसा की गई। उक्त के साथ ही पूरे वर्ष में 70 प्रतिशत से कम प्रगति वाले 67 शहरों की कार्य प्रणाली पर गहरा असन्तोष व्यक्त करते हुए कड़े निर्देश दिये गये कि संबंधित शहर अपनी कार्य प्रणाली में तत्काल सुधार करें अन्यथा उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

SM&ID घटक के अन्तर्गत SHG को RF के अन्तर्गत अवमुक्त की गई धनराशि की समीक्षा में पाया गया कि घटक के अन्तर्गत धनराशि की उपलब्धता के उपरान्त भी गाजीपुर एवं फैजाबाद में RF अवमुक्त नही किया गया जबकि कतिपय जनपदों/निकायों हाथरस, बदायूँ, महाराजगंज, मुजफ्फरनगर, शामली, एटा, गाजियाबाद, उन्नाव, चन्दौली, संभल, सहारनपुर, कौशाम्बी, रामपुर, बागपत, अमेठी, जालौन, अमरोहा, गोरखपुर, शाहजहॉपुर, बलिया, बागपत, भदोही, लोनी(गाजियाबाद), सोनभद्र, आगरा, सुल्तानपुर, अलीगढ़, महोबा, अम्बेडकरनगर, लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर, मथुरा, झांसी, कासगंज, मऊ, फतेहपुर, बरेली, बाराबंकी, हरदोई में घटक के अन्तर्गत धनराशि की उपलब्धता होते हुए भी RF अवमुक्त की प्रगति 75 प्रतिशत से कम पायी गयी है जिस पर गहरा असन्तोष व्यक्त करते हुए तत्काल प्रभाव से सभी अर्ह 03 माह के क्रियाशील SHG को जनपद में उपलब्ध धनराशि से RF अवमुक्त किये जाने के निर्देश दिये गये है।

समीक्षा में पाया गया कि 02 शहरों यथा हरदोई एवं कन्नौज में अभी तक क्षेत्र स्तरीय फेडरेशन्स (ALF) का गठन नही किया गया है जिसको गम्भीरता से लेते हुए कड़े निर्देश दिये गये कि हरदोई एक सप्ताह में तथा कन्नौज अप्रैल 2018 के अन्त तक ALF का पंजीकरण कराकर आख्या प्रस्तुत करें। उक्त के साथ ही निर्देश दिये गये कि सभी नगर निगम वाले शहर अप्रैल माह में प्रत्येक दशा में CLF का गठन कर पंजीकरण कराके तथा 01 लाख एवं उससे अधिक जनसंख्या वाले शहर भी CLF का गठन एवं पंजीकरण प्रत्येक दशा में मई 2018 तक कारण सुनिश्चित करें।

उक्त के साथ ही इस घटक के अन्तर्गत वित्तीय साक्षरता कैम्पों का आयोजन कराये, SHG सदस्यों के बैंक में बचत खाता खुलवायें तथा बचत खाते प्रधानमंत्री जनधन योजनान्तर्गत भी तत्काल प्रकरण से खुलवाने के निर्देश दिये गये। गठित स्वयं सहायता समूहों को तत्काल बैंक से लिंकेज कराकर युद्ध स्तर पर आप सृजनात्मक कार्यो से सम्बद्ध कर तेजी से उत्पादक कार्यो को करने के निर्देश दिये गये। आय सृजनात्मक कार्यो में उ0प्र0शासन द्वारा निर्धारित "एक जनपद एक उत्पाद" से गठित समूहों को जोड़कर कार्य कराये जाने के निर्देश दिये गये।

गठित SHG के सभी सदस्यों की तत्काल प्रशिक्षण पूर्ण कराने के साथ ही समन्वयन के माध्यम से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, जनश्री बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना एवं माइक्रोफाइन्नेंस का लाभ भी इस घटक एवं DAY-NULM के लाभार्थियों को दिलवाना सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये।

इस घटक के अन्तर्गत शहरों में संचालित शहरी आजीविका केन्द्र (CLC) की प्रगति बेहतर करने हेतु सभी को निर्देशित किया गया कि CLC को आत्मनिर्भर बनाने हेतु मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये बिजनेस प्लान के प्रारुप में बिजनेस प्लान तैयार कर तदानुसार संचालन भी तेजी से करते हुए आत्म निर्भरता की तरफ

CLC को ले जाया जाए। CLC में पंजीकरण तेजी से कराया जाये। इस माह सभी CLC को लगभग 1000 कामगारों श्रमिकों को पंजीकृत किये जाने के निर्देश दिये गये जिसमें EST&P के अन्तर्गत कौशल प्रशिक्षण पायें सभी लाभार्थियों को अन्य विभागों जैसे कौशल विकास मिशन आदि विभागों द्वारा प्रशिक्षित लाभार्थियों के साथ ही अन्य सभी कुशल कामगारों को भी पंजीकृत किया जाय तथा पंजीकृत कामगारों तथा अन्य कौशल प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थियों की ट्रेडवार सूची तैयार कर शहर में उपलब्ध विभिन्न बिजनेस हाउस, मॉल्स, नर्सिंग होम, हास्पिटल एवं सरकारी तथा गैर सरकारी विभागों से सम्पर्क कर आवश्यकतानुसार रोजगार दिलाये साथ ही दैनिक सेवाओं हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार के माध्यम से भी पंजीकृत व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराते हुए सी0एल0सी0 को आत्म निर्भरता की ओर ले जाये। उक्त के साथ ही सी0एल0सी0 में अच्छे समूहो के उत्पाद की गुणवत्ता को बेहतर बनाये जाने हेतु तकनीकी सहायता प्रदान कर समूहो को भी सी0एल0सी0 में पंजीकृत करें तथा समूहों द्वारा उत्पादित उत्पादों की बिक्री सी0एल0सी0 के माध्यम से कराना सुनिश्चित करायें। समूहों के उत्पादों की बिक्री विभिन्न ऑनलाइन माध्यमों जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ड, होम शॉप, शॉप 18 आदि से सम्पर्क कर समन्वयन के माध्यम से भी बिकी कराना सुनिश्चित करे।

CLC के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु तहसील दिवस में बैनर एवं शहरों में होर्डिंग्स के माध्यम से भी व्यापक प्रचार प्रसार किया जाय साथ ही विभिन्न प्रकार की बैठकों एवं अन्य आयोजनों का भी व्यापक चर्चा कर प्रचार प्रसार किया जाय। मुख्यालय स्तर पर संचालित टोल फ्री नं0 1800 1800 155 का भी व्यापक प्रचार प्रसार किया जाय।

मुजफ्फरनगर, सीतापुर, मेरठ, कन्नौज, सुल्तानपुर एवं हाथरस शहरों में CLC स्वीकृत के एक वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त अभी तक संचालित न किये जाने पर गहरा असन्तोष व्यक्त करते हुए तत्काल संचालन प्रारम्भ करने के निर्देश दिये गये।

वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु घटक के अन्तर्गत लक्ष्य के संबंध में निर्देशित किया गया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस घटक के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों का अनन्तिम लक्ष्य सभी शहरों में वित्तीय वर्ष 2017–18 में आवंटित लक्ष्य के समान होगा तथा विगत वित्तीय वर्ष 2017–18 के अवशेष लक्ष्य भी वर्तमान वित्तीय वर्ष में पूर्ण करना होगा।

SUH- शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजनान्तर्गत स्वीकृत 122 आश्रय गृहों में से अद्यतन 55 आश्रय गृहों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है, जिसमें से 31 जनवरी से पूर्व 48 आश्रय गृहों के पूर्ण निर्माण कार्य वाले आश्रय गृहों के संचालन की प्राप्त मौखिक सूचना के आधार पर मा0 उच्चतम न्यायालय में संचालित की श्रेणी में दर्शाया गया है, जिसके सापेक्ष अद्यतन 21 आश्रय गृहों के संचालन की सूचना मुख्यालय को प्राप्त है। शेष 27 आश्रय गृहों के साथ ही अद्यतन अन्य पूर्ण 8 आश्रय गृहों के संचालन की तत्काल सूचना एन0यू0एल0एम0 कार्यालय को ई–मेल suhnulmup@gmail.com को उपलब्ध करायी जाये। प्रकरण की मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा सघन समीक्षा किये जाने के दृष्टिगत संचालन में किसी भी प्रकार का विलम्ब न किया जाय तथा शेल्टर होम का निर्माण कार्य पूर्ण होते ही संचालन आरम्भ करा दिया जाये। पूर्ण C&DS से प्राप्त सूचना के अनुसार निम्नलिखित आश्रय गृहों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है:–

क्र0 सं0	नगर निकाय का नाम	नया / उच्चीकरण	लोकेशन	व्यक्तियों की संख्या	भौतिक प्रगति (% में)
1	लखनऊ	नया	पलटन छावनी	50	100%
2	लखनऊ	उच्चीकरण	लक्ष्मण मेला	50	100%
3	लखनऊ	उच्चीकरण	जियामऊ	50	100%
4	कानपुर	उच्चीकरण	चुन्नीगंज बस स्टाप के पास	50	100%
5	कानपुर	उच्चीकरण	भैरवघाट के पास	50	100%
6	कानपुर	नया (G+2)	पहाड़पुर	60	100%

7	कानपुर	नया	शिवली रोड़ कल्यानपुर	60	100%
8	कांनपुर	नया	लाला लाजपत राय	60	100%
9	गाजियाबाद	नया (G+1)	मोहिद्दीनपुर मैनापुर (कबीरनगर)	100	100%
10	गाजियाबाद	नया (G+2)	घूकना (सिटीजोन)	100	100%
11	गाजियाबाद	नया (G+1)	डूडा हेड़ा (सुदामापुरी विजय नगर)	100	100%
12	लोनी	नया (G+2)	-	100	100%
13	हापुड़	नया (G+1)	दिल्ली-गढ़ रोड़	100	100%
14	आगरा	नया	लोहामण्डी नगर निगम परिषद	75	100%
15	खुर्जा	नया (G+2)	खुर्जा अन्दर चुंगी	50	100%
16	कासगंज	नया (G+2)	-	50	100%
17	मथुरा	नया	लक्ष्मीनगर	100	100%
18	मऊनाथ भंजन	नया (G+1)	सहादतगंज	50	100%
19	आजमगढ	नया (G+2)	जिला चिकित्सालय	100	100%
20	बलिया	नया (G+3)	नगर पालिका की कन्ज्यूमर कोर्ट परिसर	50	100%
21	उन्नाव	नया	ए0बी0 नगर	50	100%
22	मैनपुरी	नया	श्रृंगार नगर	100	100%
23	फर्रूखाबाद	नया	सीएमओ आफिस फतेहगढ	100	100%
24	गोण्डा	नया	मेवातियान मोहल्ला	60	100%
25	गोण्डा	नया (G+2)	-	50	100%

26	गोरखपुर	नया (G+2)	वार्ड-31	50	100%
27	फतेहपुर	नया (G+1)	-	50	100%
28	रायबरेली	नया (G+1)	धौरहरा	50	100%
29	महोबा	नया	महोबा रॉठ रोड़ पर नवोदय विद्यालय के पास	50	100%
30	बिजनौर	नया	-	50	100%
31	चन्दौसी	नया (G+2)	घटिया गेट	69	100%
32	मुरादाबाद	नया (G+2)	कुन्दनपुर	50	100%
33	मुगलसराय (मौजा अलीनगर)	नया	मुगलसराय	50	100%
34	मेरठ	नया (G+2)	रोहता रोड	50	100%
35	मेरठ	नया (G+2)	गढ़ रोड	100	100%
36	मेरठ	नया (G+2)	बराल परतापुर बाईपास मार्ग	70	100%
37	मेरठ	नया (G+1)	मुकुट महल	50	100%
34	उरई	नया	लहरिया पुरवा	100	100%
39	रामपुर	नया (G+2)	मुमताज पार्क के पास	100	100%
40	मुजफ्फर नगर	नया (G+2)	रेलवे स्टेशन के पास	50	100%
41	राबर्टगंज	नया (G+2)	पुरानी तहसील के पास	50	100%
42	लखनऊ	उच्चीकरण	लाटूश रोड चारबाग	30	100%
43	लखनऊ	उच्चीकरण	सी0 ब्लॉक इन्दिरा नगर	21	100%

44	लखनऊ	उच्चीकरण	कानपुर रोड चुंगी	16	100%
45	लखनऊ	उच्चीकरण	चकबस्त रोड	35	100%
46	लखनऊ	उच्चीकरण	डालीगंज	40	100%
47	लखनऊ	उच्चीकरण	अमीनाबाद	17	100%
48	सुतरखाना	उच्चीकरण		17	100%
49	बादशाही नाका	उच्चीकरण		30	100%
50	ढ़कनापुरवा	उच्चीकरण		28	100%
51	फूलबाग	उच्चीकरण		34	100%
52	पंकी मन्दिर	उच्चीकरण		80	100%
53	उस्मानपुर	उच्चीकरण		20	100%
54	सरसैया घाट	उच्चीकरण		52	100%
55	बी0एन0 भल्ला हॉस्पिटल	उच्चीकरण		30	100%

उपरोक्त पूर्ण सभी शेल्टर होम का विधिवत संचालन प्रारंभ कर संचालन की सूचना तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जाए।

उक्त के साथ ही यह भी अवगत कराया गया है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण की निरंतर मानीटरिंग की जा रही है जिसके दृष्टिगत शहर में उपलब्ध एवं एनयूएलएम0 के अन्तर्गत निर्मित शेल्टर होम का विधिवत संचालन 24X7 के आधार पर किया जाए इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न की जाए। 08.02.2018 को सुनवाई के दौरान मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा तेजी से शेल्टर निर्माण हेतु भूमि/भवन को चिन्हित कर शेल्टर होम का निर्माण कार्य कराया जाय। मा0 उच्चतम न्यायालय में आगामी तिथि 19.04.2018 को नियत है जिसमें भूमि/भवन की सूचना उपलब्ध करायी जानी है, जिसके दृष्टिगत आवश्यक है कि अनुपयोगी स्कूलों एवं सामुदायिक केन्द्रों का विवरण इस कार्यालय के पत्रांक 901/241/NULM/तीन/2001(SUH) दिनांक 19.01.2018 के द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूपों पर प्रत्येक दशा में दिनांक 15.04.2018 तक उपलब्ध कराया जाय। साथ ही निम्न कार्यवाही भी प्रथम वरीयता के आधार पर पूर्ण की जायेः–

1. एन0यू0एल0एम0 के अन्तर्गत चयनित सभी 130 शहरों में शासनादेश के अनुक्रम में कार्यकारी समिति का गठन कर तत्काल बैठक कराते हुए भारत सरकार के वेबसाइट पर तुरन्त इन्ट्री कर दी जाय क्योंकि भारत सरकार के पोर्टल से प्रिन्ट निकाल कर प्रत्येक तिथियों पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय को प्रस्तुत किया जाता है।
2. सभी पूर्ण एवं निर्माणाधीन शेल्टर होम के लिए शासनादेश के अनुक्रम में तत्काल शेल्टर मैनेजमेन्ट कमेटी का गठन कर बैठक कराते हुए इसकी भी तुरन्त इन्ट्री भारत सरकार के पोर्टल पर की जाय।
3. सभी शहर कार्यकारी समिति की इसी माह 01 बैठक कराकर भारत सरकार के पोर्टल पर इन्ट्री करें। कार्यकारी समिति की बैठक के कार्यवृत्त में शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजना के संबंध में चर्चा एवं प्रगति का उल्लेख अवश्य अंकित किया जाय।
4. सभी पूर्ण शेल्टर होम का संचालन तत्काल प्रारम्भ किया जाय। संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि शेल्टर होम के पूर्ण होने का प्रमाण पत्र, हैस्तगत होने का प्रमाण पत्र, शेल्टर होम के बाहरी एवं अन्दर के फोटोग्राफ जिसमें उपलब्ध सेवायें/सुविधायें स्पष्ट दिखायी पड़ती हो, शेलटर होम का संचालन किसके द्वारा किया जायेगा का उल्लेख एवं शेल्टर होम निर्माण हेतु अवमुक्त अन्तिम किश्त के उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराते हुए प्रस्ताव प्रेषित करते हुए संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि सूडा से अवमुक्त करा ली जाय।
5. कार्यकारी समिति एवं शेल्टर मैनेजमेनट कमेटी की वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत नियमित मासिक बैठक कर इन्ट्री भारत सरकार के पोर्टल पर अपडेट की जाय।

6. संचालित सभी शेल्टर होम (NULM & Non NULM) की शेल्टर प्रोफाइल MIS, SULM को तत्काल निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराकर यह सुनिश्चित कर दिया जाय कि शहर में संचालित NULM एवं नगर निगमों के सभी शेल्टर होम की प्रोफाइल GOI के पोर्टल पर अपलोड हो गयी है।

यह भी अवगत कराया गया है कि मा0 उच्चतम न्यायालय के अन्तरिम आदेशों के अनुपालन में प्रदेश के सभी शहरी निकायों में शहरी बेघरों का थर्ड पार्टी सर्वेक्षण का कार्य गिरी विकास अध्ययन संस्थान लखनऊ द्वारा किया जा रहा है। अद्यतन 433 नगरीय निकायों में सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण की सूचना गिरी विकास संस्थान द्वारा दी गई है। शहरी बेघरों के सर्वेक्षण के संबंध में निर्देश दिये गये कि गिरी विकास संस्थान के प्रतिनिधियों को सर्वेक्षण हेतु जनपद/शहर भ्रमणों के दौरान अपेक्षित आवश्यक सहयोग सुनिश्चित कराया जाए।

7. नगर निगम द्वारा एन0यू0एल0एम0 के अतिरिक्त जो भी शेल्टर होम संचालित है उन सभी शेल्टर होम के लिए भी शेल्टर मैनेजमेनट कमेटी का गठन कर उपरोक्तानुसार बैठक कराते हुए तत्काल इन्ट्री की जाय।

8. एन0यू0एल0एम0 के अन्तर्गत निर्मित एवं नगर निगम द्वारा संचालित सभी शेल्टर होम की प्रोफाइल मय फोटोग्राफ के नगर निगम के समन्वय से प्राप्त कर तत्काल एस0यू0एल0एम0 सूडा उ0प्र0, पर्यटन भवन को मेल अथवा विशेष वाहक के द्वारा उपलब्ध कराकर भारत सरकार के पोर्टल पर एस0यू0एल0एम0 एम0आई0एस0 के माध्यम से कराना सुनिश्चित की जाय। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलिता क्षम्य नही होगी।

<u>**EST&P-**</u> DAY-NULM के घटक कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार (EST&P) के अन्तर्गत सभी शहरों में प्रशिक्षणार्थियों के सेवायोजन की स्थिति को देखते हुए निम्नवत् निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया:-

क्र. सं.	प्रशिक्षणार्थियों के सेवायोजन की स्थिति	शहरों के नाम	निर्देश
1.	50% से कम और 40% से अधिक	रायबरेली, मऊ, औरैया, बलरामपुर, उरई, मुरादाबाद, गाजियाबाद, दादरी(जी0बी0नगर), आजमगढ़, कासगंज एवं लोनी	इन शहरों को निर्देशित किया गया कि संस्थाओं को नोटिस जारी करते हुए रोजगार मेलों का आयोजन कराकर माह अप्रैल, 2018 के अन्त तक न्यूनतम 50% सेवायोजन कराकर एम0आई0एस0 पर अपलोड करें जोकि माह मई, 2018 की मासिक समीक्षा में अनिवार्य रुप से परिलक्षित हो।
2.	40% से कम	खुर्जा(बुलन्दशहर), मंझनपुर(कौशाम्बी), ज्ञानपुर(भदोही), फिरोजाबाद एवं शिकोहाबाद(फिरोजाबाद)	इन शहरों को सख्त निर्देश दिये गये कि संस्थाओं को नोटिस जारी करते हुए रोजगार मेलों का आयोजन कराकर माह अप्रैल 2018 के अन्त तक न्यूनतम 50% सेवायोजन कराकर एम0आई0एस0 पर अपलोड करें जोकि माह मई, 2018 की मासिक समीक्षा में अनिवार्य रुप से परिलक्षित हो अन्यथा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति न होने की दशा में कठोर कार्यवाही की जायेगी। • फिरोजाबाद एवं शिकोहाबाद (फिरोजाबाद) को निर्देशित किया गया कि संस्थाओं को नोटिस जारी करते हुए माह अप्रैल, 2018 के अन्त तक न्यूनतम 50% सेवायोजन कराकर एम0आई0एस0 पर अपलोड करायें अन्यथा उक्त जनपदों के परियोजना अधिकारियों के खिलाफ योजना में अपेक्षित प्रगति नही होने के कारण विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

मासिक समीक्षा बैठक में सभी शहरों को निर्देशित किया गया कि कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा MIS में सेवायोजन का विवरण (प्लेसमेन्ट लेटर) अपलोड किये जाने से पहले संबंधित शहर के सी0एम0एम0यू0/डूडा कार्यालय को सेवायोजन का विवरण (प्लेसमेन्ट लेटर) की प्रतिलिपि उपलब्ध करायी जायेगी। यह भी निर्देशित किया गया कि शहर मिशन प्रबन्धक द्वारा शत-प्रतिशत सेवायोजन के लाभार्थियों का सत्यापन किया जाये तथा पी0ओ0/ए0पी0ओ0 द्वारा भी 15-20 प्रतिशत सेवायोजित लाभार्थियों का सत्यापन किया जाये। सत्यापन के लाभार्थियों का समस्त विवरण रजिस्ट्रर पर अंकित किया जाये तथा जिस

अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाये उसके हस्ताक्षर भी रजिस्ट्रर पर किये जाये। तत्पश्चात् ही भुगतान की कार्यवाही की जाये।

सेवायोजित किये गये प्रशिक्षार्थियों की 12 माह की ट्रैकिंग से संबंधित प्रपत्र MIS पर अपलोड नही किये जा रहे है जोकि अत्यन्त खेद जनक है। अतः सभी शहरों को निर्देशित किया जाता है कि सेवायोजित किये गये सभी प्रशिक्षार्थियों के 12 माह की ट्रैकिंग से संबंधि प्रपत्र MIS पर अपलोड किये जाये और हार्ड कॉपी में संस्थावार CMMU/DUDA पर संकलित किया जाये।

EST&P के अन्तर्गत आगरा, मेरठ, मिर्जापुर, गाजियाबाद, भामली, वाराणसी, फैजाबाद, इलाहाबाद, अमरोहा, बदायूँ, एटा, फर्रुखाबाद, जी0बी0नगर, गोरखपुर, हमीरपुर, मुरादाबाद, महोबा, लखनऊ, गाजीपुर एवं रामपुर को निर्देशित किया गया कि जिन असेसिंग बॉडीस का भुगतान अवशेष है उन असेसिंग बॉडीस को नियमानुसार भुगतान किया जाना शीघ्र सुनिश्चित किया जाये।

NSDC Partner संस्थाओं से संबंधित 44 शहरों को निर्देशित किया गया कि आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष प्रारंभ प्रशिक्षण का भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाये और उसकी आख्या तत्काल एस0यू0एल0एम0 को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

SUSV- DAY-NULM के घटक शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता योजना (SUSV) के अन्तर्गत शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता उपलब्ध कराया जाना मा0 मुख्यमंत्री जी के प्राथमिकता कार्यक्रमों में सम्मिलित है जिसकी निरन्तर समीक्षा शासन द्वारा की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2015–2016 में शहरी पथ विक्रेता प्लान तैयार किये जाने वाले 14 शहरों (सहारनपुर, मेरठ, वाराणसी, फिरोजाबाद, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, गोरखपुर, इलाहाबाद, गाजियाबाद, मुरादाबाद, झांसी एवं आगरा) में शहरी पथ विक्रेता प्लान तैयार किये जाने हेतु एजेन्सी का अनुमोदन 02 वर्ष अधिक समय व्यतीत हो चुका है जबकि दिशा निर्देशानुसार 06 माह मे प्लान तैयार किया जाना है। उपरोक्त स्थिति को संज्ञान में लेते हुये निर्देशित किया गया कि प्रत्येक दशा में दिनांक 30.04.2018 तक नियमानुसार तैयार शहरी पथ विक्रेता प्लान को राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति के अनुमोदन हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक शहरी पथ विक्रेता प्लान उपलब्ध ना कराये जाने की दशा में उक्त जनपदों के परियोजना अधिकारियों के खिलाफ योजना में अपेक्षित प्रगति नही होने के कारण विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

वित्तीय वर्ष 2016–2017 में शहरी पथ विक्रेता प्लान तैयार किये जाने वाले 16 शहरों (बरेली, मऊ, मथुरा, जौनपुर, लोनी, बुलन्दशहर, उन्नाव, हापुड, शांहजहांपुर, सम्भल, मिर्जापुर, फैजाबाद, अमरोहा, हरदोई, फतेहपुर एवं उरई) में शहरी पथ विक्रेता प्लान तैयार किये जाने हेतु एजेन्सी का अनुमोदन हुये लगभग 09 माह से 16 माह तक का समय व्यतीत हो चुका है जबकि दिशा निर्देशानुसार 06 माह मे प्लान तैयार किया जाना है। उपरोक्त स्थिति को संज्ञान में लेते हुये निर्देशित किया गया कि प्रत्येक दशा में दिनांक 30.04.2018 तक नियमानुसार तैयार शहरी पथ विक्रेता प्लान को राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति के अनुमोदन हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक शहरी पथ विक्रेता प्लान उपलब्ध ना कराये जाने की दशा में उक्त जनपदों के परियोजना अधिकारियों के खिलाफ योजना में अपेक्षित प्रगति नही होने के कारण विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

उक्त 30 शहरों के शहरी पथ विक्रेता प्लान की प्रगति के संबंध में मुख्यालय स्तर पर दिनांक 09.02.2018 को आयोजित समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त संख्या– 962/241/तीन/एनयूएलएम/ 2001(एसयूएसवी) दिनांक 20.02.2018 एवं प्रमुख सचिव, महोदय की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा दिनांक 23.02.2018 द्वारा की गई समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त संख्या–1008/241/तीन/एनयूएलएम/2001(एसयूएसवी) दिनांक 15.03.2018 के द्वारा शहरी पथ विकेता प्लान को तैयार किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों के कम में उक्त सभी 30 शहरों से अनुपालन आख्या अभी तक अप्राप्त है जो कि अत्यन्त ही खेदजनक है। अतः प्रत्येक दशा में 30.04.2018 तक अनुपालन आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

उक्त सभी शहरों को पुनः स्पष्ट किया गया कि एजेन्सी द्वारा सर्वेक्षित सभी पथ विक्रेताओं का बायोमैट्रिक सर्वे आवश्यक है। सर्वे के साथ पथ विक्रेताओं का आधार कार्ड नं0 एवं मोबाइल नं0 अवश्य लिया जाय, जिसके संबंध में निर्देश जारी किये जा चुके है। जिन शहरों में कुछ पथ विक्रेताओं के आधार कार्ड नं0 एवं मोबाइल नं0 सर्वे के दौरान प्राप्त नही हो पाये है, उन पथ विक्रेताओं के आधार कार्ड नं0 एवं मोबाइल नं0 प्राप्त करने हेतु कैम्पों, बैठको आदि का आयोजन किया जाये, जिन पथ विकेताओं के आधार एवं मोबाईल

नं0 नही प्राप्त हो पाते है उनके पंजीकरण/आई कार्ड जारी करने के समय आधार एवं मोबाइल नं0 अनिवार्य रुप से लिये जाये और डाटाबेस में प्रविष्टि की जाय।

भारत सरकार के आदेशानुसार DAY-NULM के अन्तर्गत सभी लाभार्थियों का आधार नं0 होना अनिवार्य है। जिन पथ विक्रताओं के पास आधार कार्ड नही है, उनके आधार कार्ड बनवाने मे सहायता की जाय और आधार कार्ड संख्या अवश्य अंकित की जाय। नगर पथ विक्रय समिति के माध्यम से उन्हें पथ विक्रय प्रमाण पत्र, परिचय पत्र, आदि भी जारी करवाने की कार्यवाही की जाय। सिटी स्ट्रीट वेंडिग प्लान योजना प्राधिकारी (विकास प्राधिकरण आदि) के परामर्श और टाउन वेडिंग कमेटी की सिफारिश पर नगर निगम/नगर पालिका परिषद द्वारा बनाये जाने का प्राविधान है। पथ विकेता प्लान को पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ क्रिय विनियमन) अधिनियम 2014, पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ क्रिय विनियमन) नियमावली 2017, उ0प्र0 पथ विक्रेताओं हेतु योजना 2016 तथा दीनदयाल अन्त्योदय योजना– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक पथ विक्रेताओं को सहायता के प्रचालनात्मक दिशा निर्देशों के अनुरुप तैयार किया जायेगा। मॉडल प्लान एवं DIP के संबंध में विवरण वेबसाइट पर अपलोड है।

SEP – DAY-NULM के घटक स्वरोजगार कार्यक्रम (SEP-I) के अन्तर्गत व्यक्तिगत ऋण योजना में जिन जनपदों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को शत प्रतिशत प्राप्त किया गया है उन जनपदों के परियोजना अधिकारियों की सराहना की गयी। जनपद यथा आगरा, अमेठी, अमरोहा, औरैया, बदायूँ, बागपत, बहराइच, बलरामपुर, बांदा, बरेली, बस्ती, भदोही, बुलन्दशहर, चन्दौली, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गोण्डा, हमीरपुर, हापुड़, हाथरस, जौनपुर, कन्नौज, कानपुर, कानपुर देहात, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर, ललितपुर, महराजगंज, मैनपुरी, मथुरा, मिर्जापुर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रायबरेली, संभल, संतकबीर नगर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थ नगर, सोनभद्र एवं उन्नाव। जिन जनपदों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष 99 प्रतिशत 57 प्रतिशत तक लक्ष्यों को प्राप्त किया गया है उन जनपदों के परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आगामी वित्तीय वर्ष 2018–19 में कमी के लक्ष्य को आगे समायोजित करते हुए लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित करें। प्रदेश के 75 जनपदों में से जनपद– वाराणसी की प्रगति सबसे खराब रही है जो निर्धारित लक्ष्य का मात्र 10 प्रतिशत ही लक्ष्य प्राप्त किया है निदेशक महोदय द्वारा इस पर घोर अप्रसन्नता व्यक्त की गई तथा परियोजना अधिकारी को निर्देशित किया गया कि जनपद में कार्यरत शहर मिशन प्रबन्धकों तथा सामुदायिक आयोजकों के मध्य कार्य का विभाजन समुचित तरीके से कराकर लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विशेष रणनीति बनाकर कार्य करें, अन्यथा की स्थिति में उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

DAY-NULM के घटक स्वरोजगार कार्यक्रम (SEP-I) के अन्तर्गत 25 ऐसे नये स्थानीय निकाय है जिनकी प्रगति वित्तीय वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत शून्य रही है। निदेशक महोदय द्वारा संबंधित निकाय के परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि किसी भी स्थिति में वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रगति शून्य नही रहनी चाहिए, अन्यथा की स्थिति में उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

SEP(G) के अन्तर्गत जिन जनपदों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की शत–प्रतिशत प्राप्ति की गई है उन जनपदों के परियोजना अधिकारियों की सराहना की गयी है। जनपद यथा अमेठी, औरैया, बागपत, बहराइच, बलिया, बांदा, बाराबंकी, बस्ती, भदोही, बिजनौर, बुलन्दशहर, चन्दौली, चित्रकूट, देवरिया, फिरोजाबाद, जी0बी0नगर, गाजियाबाद, गोण्डा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, कानपुर देहात, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, महराजगंज, मैनपुरी, मथुरा, मिर्जापुर, पीलीभीत, प्रतापगढ, संतकबीरनगर, संभल, शामली, सिद्धार्थनगर एवं सोनभद्र। इसके अतिरिक्त जिन जनपदों द्वारा 75 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक लक्ष्य की प्राप्ति की गई है। उन जनपदों के परियोजना अधिकारियों को विशेष प्रयास करके लक्ष्य की पूर्ति करने एवं भविष्य में इसकी पुर्नरावृत्ति न होने के निर्देश दिये गये। यथा जनपद– इटावा, रायबरेली, बदायूँ, हाथरस, जौनपुर, रामपुर, सीतापुर, उन्नाव, बरेली, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, अमरोहा, बलरामपुर, चन्दौली, एटा, गाजीपुर, हरदोई, कन्नौज, कासगंज, महोबा एवं सुल्तानपुर। इसके अतिरिक्त जनपद–फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, आगरा, इलाहाबाद, जालौन(उरई), झांसी, मेरठ, लखनऊ, अलीगढ़, फतेहपुर, सहारनपुर, वाराणसी, मऊ, कानपुर नगर की प्रगति निर्धारित के सापेक्ष बहुत ही निम्न कोटि की है जिस पर मिशन निदेशक महोदय द्वारा इन जनपदों के परियोजना अधिकारियों पर घोर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है एवं कड़े निर्देश दिये गये है कि आगामी वित्तीय वर्ष 2018–19 में कमी के लक्ष्य को आगे समायोजित करते हुए लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित करें। जनपद– अम्बेडकरनगर, आजमगढ़, फैजाबाद, शाहजहॉपुर, श्रावस्ती(भिन्गा) की प्रगति

निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष शून्य है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन जनपदों के परियोजना अधिकारियों द्वारा जनपद के संबंधित शहर मिशन प्रबन्धकों एवं सामुदायिक आयोजकों का पर्यवेक्षण उचित ढ़ग से नही किया जा रहा है। यह स्थिति अत्यन्त खेदजनक है भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति होने पर शहर मिशन प्रबन्धकों एवं सामुदायिक आयोजकों की आबद्धता समाप्त करने पर विचार किया जायेगा एवं संबंधित जनपदों के परियोजना अधिकारियों पर ऐसी स्थिति में विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

SHG(Group Linkage) के अन्तर्गत जिन जनपदों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को शत–प्रतिशत प्राप्त किया गया है उन जनपदों के परियोजना अधिकारियों की सराहना की गयी है। जनपद यथा अमेठी, औरैया, बदायूँ, बहराइच, बलिया, बिजनौर, बुलन्दशहर, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गोण्डा, हमीरपुर, जौनपुर, कानपुर देहात, कौशाम्बी, लखीमपुर खीरी, महराजगंज, मैनपुरी, मथुरा, मिर्जापुर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रायबरेली, संभल, श्रावस्ती(भिन्नगा), सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र। जिन जनपदों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष 100 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक प्रगति रही है जनपद यथा फिरोजाबाद, हाथरस, ललितपुर, मेरठ, शामली, आगरा, बांदा, बागपत, रामपुर, जी0बी0नगर, संतकबीरनगर, इलाहाबाद, अमरोहा, चन्दौली, सहारनपुर, उन्नाव, जालौन, बस्ती, कुशीनगर, आजमगढ़, बागपत, कासगंज, हापुड़ एवं गाजियाबाद की प्रगति पर मिशन निदेशक महोदय द्वारा परियोजना अधिकारियों पर घोर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है एवं कड़े निर्देश दिये गये है कि आगामी वित्तीय वर्ष 2018–19 में कमी के लक्ष्य को आगे समायोजित करते हुए लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित करें।

जिन जनपदों में निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष प्रगति 50 प्रतिशत से कम है यथा जनपद– फतेहपुर, गाजियाबाद, बलरामपुर, फैजाबाद, बरेली, अलीगढ़, हरदोई, गोरखपुर, अम्बेडकरनगर, सुल्तानपुर, कानपुर नगर, मुरादाबाद, शाहजहॉपुर, लखनऊ, कन्नौज, बाराबंकी, मुजफ्फरनगर, बाराणसी, फर्रूखाबाद, मऊ, झांसी, महोबा, भदोही एवं गाजीपुर द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की सापेक्ष प्रगति 50 प्रतिशत से कम का लक्ष्य प्राप्त किया है। मिशन निदेशक महोदय द्वारा संबंधित परियोजना अधिकारियों पर घोर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि इन जनपदों के परियोजना अधिकारियों द्वारा जनपद के संबंधित शहर मिशन प्रबन्धकों एवं सामुदायिक आयोजकों का पर्यवेक्षण उचित ढ़ग से नही किया जा रहा है, यह स्थिति अत्यन्त खेदजनक है भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति होने पर शहर मिशन प्रबन्धकों एवं सामुदायिक आयोजकों की आबद्धता समाप्त करने पर विचार किया जायेगा एवं संबंधित जनपदों के परियोजना अधिकारियों पर ऐसी स्थिति में विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

CB&T– DAY-NULM के घटक क्षमता संवर्धन एवं प्रशिक्षण के अन्तर्गत मासिक वेतन निर्धारित फार्मेट परं XEAM ventures Pvt. Ltd की मेल आई0डी0 तथा nulmupcbt@gmail.com पर देना आवश्यक है।

- जनपद बरेली की शहर मिशन प्रबन्धक(SM&ID) को बैंक लिंकेजेस के संबंध में स्पष्टीकरण देने हेतु निर्देश दिये गये है।

- समस्त शहर मिशन प्रबन्धकों को वित्तीय वर्ष 2017–18 के सारे लक्ष्य 30 अप्रैल 2018 तक पूर्ण करने के निर्देश दिये गये है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)–सबके लिये आवास –

1. प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत अधिकांश परियोजना अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि संबंधित संस्था के कन्सलटेन्ट द्वारा जनपद स्तर पर किये गये कार्यों से उन्हें अवगत नहीं कराया जा रहा है तथा संस्था के प्रतिनिधि परियोजना अधिकारियों के सम्पर्क में नहीं रहते हैं। इस प्रकरण पर घोर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा समस्त संस्था के प्रमुख को निर्देशित किया गया कि वे जनपद/निकाय स्तर पर किये गये कार्यों से परियोजना अधिकारियों लगातार अवगत करायें तथा नियमित रूप से उनके सम्पर्क में रहें।
2. सभी परियोजना अधिकारियों को निर्देशित कराया गया कि वे अपने जनपद की सभी निकायों के बी0एल0सी0 घटक को माह–15 मई, 2018 तक संतृप्त कराना सुनिश्चित करें।
3. जिन निकायों में प्रमाणीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है, उन निकायों के प्लान ऑफ एक्शन जनपद स्तरीय निगरानी समिति से कराने से पूर्व लाभार्थियों के समस्त प्रपत्र प्राप्त कर लें।
4. समस्त संस्था के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि ऑनलाइन तथा ऑफलाइन आवेदन पत्रों का निकायवार अलग–अलग बन्डल बनाते हुए परियोजना अधिकारी को उपलब्ध कराये एवं सूडा मुख्यालय को भी अवगत करायें।
5. निर्देशित किया गया कि किसी भी कन्सलटेन्टस (HFA-POA/DPRPMC) द्वारा कोई भी लाभार्थी निरस्त नहीं किए जायेगें, बल्कि निरस्त किये जाने वाले लाभार्थियों की सूची कारण सहित परियोजना अधिकारी को उपलब्ध करायी जायें जिसे परियोजना अधिकारी अपने स्तर से जांच कराते हुए पात्र/अपात्र लाभार्थियों का निर्धारण करते हुये अन्तिम सूची तैयार करायेगें।
6. सभी परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे सम्बन्धित डीपीआर/पीएमसी कन्सलटेन्ट्स से समन्वय स्थापित करते हुए भुवन पोर्टल पर जिओ टेगिंग का कार्य तीव्र गति से प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित परियोजना अधिकारी को अवश्य अवगत कराते हुए सूडा मुख्यालय को भी सूचित करें।
7. सभी परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे प्रतिदिन कार्यों की प्रगति का अनुश्रवण करें। स्वीकृत डी0पी0आर0 के लाभार्थियों का सत्यापन कराते हुए जिओ टेगिंग कर ग्राउण्डिंग का कार्य चरणबद्ध प्रक्रिया के अनुसार तत्काल प्रारम्भ करायें।
8. सभी कन्सलटेन्टस को निर्देशित किया गया कि वे जियो टैग के पश्चात् लाभार्थी की फाइल भुगतान हेतु शीघ्र परियोजना अधिकारियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
9. सभी परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे शीघ्र नियमानुसार लाभार्थियों के खाते में जीरो लेवल जिओ टेगिंग के उपरान्त प्रथम किश्त की धनराशि स्थानान्तरित करना सुनिश्चित करें।
10. DPRPMC को निर्देश दिये गयें कि डी0पी0आर0 के अनुसार ही लाभार्थियों को प्रोजेक्ट के साथ संबद्ध करें।
11. निर्देशित किया गया कि लाभार्थी को उपलब्ध कराये गयें नक्शे पर लाभार्थी का नाम व डी0पी. आर0 का कोड अवश्य अंकित होना चाहिए एवं नक्शा लाभार्थी के भूमि की माप के अनुसार ही होना चाहिए।

(कार्यवाही–संबंधित डूडा/सूडा)

बी0एस0यू0पी0 / आई0एच0एस0डी0पी0 योजना–

बी0एस0यू0पी0 / आई0एच0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत सभी सम्बन्धित परियोजना अधिकारियों को शीघ्र उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं कम्पलीशन सार्टीफिकेट प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त के अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया गया कि प्राथमिकता के आधार पर केन्द्रांश की धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र तत्काल सूडा मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिन परियोजनाओं में आवास पूर्ण हो चुके है तथा आवंटन नहीं हुआ है, परियोजना अधिकारी को निर्देशित किया गया कि उन परियोजनाओं में तत्काल आवंटन कराकर कब्जा आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(कार्यवाही सूडा / संबंधित डूडा / कार्यदायी संस्था)

राजीव आवास योजना

राजीव आवास योजनान्तर्गत संबंधित जनपदों एवं कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि अपूर्ण परियोजनाओं को प्रत्येक दशा 15 दिनों में पूर्ण कराना सुनिश्चित् किया जाये। सम्बन्धित परियोजना अधिकारियों तथा कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि वे अवमुक्त की गयी प्रथम किश्त की धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर शीघ्र उपलब्ध कराये जिससे कि भारत सरकार से द्वितीय किश्त प्राप्त करने की कार्यवाही पूर्ण की जा सके। कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 को भी निर्देशित किया गया कि जिन शहरों में निर्माणकार्य बन्द हैं वहां शीघ्र कार्य प्रारम्भ कराए।

(कार्यवाही–सूडा / संबंधित डूडा / कार्यदायी संस्था)

आसरा योजना

- समीक्षा बैठक में कार्यदायी संस्था तथा परियोजना अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि जिन आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है केवल उन्हीं को पूर्ण किया जाये अनारम्भ आवासों का कार्य प्रारम्भ न किया जाये।
- समीक्षा बैठक में सभी सम्बधित परियोजना अधिकारी एवं कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि वे आरम्भ अपूर्ण आवासों को पूर्ण किए जाने हेतु द्वितीय किश्त / मूल्यवृद्धि तथा अवस्थापना के प्रस्ताव तथा व्यय की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र एक सप्ताह में मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

मुख्य मंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना

- समीक्षा बैठक में अवगत कराया गया कि नई संचालित मुख्य मंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना का शासनादेश राज्य सरकार द्वारा जारी किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष में उपलब्ध बजट का सदुपयोग सुनिश्चित करने के दृष्टिगत शीघ्र दिशा–निर्देशों के अनुसार नियमानुसार निर्माण कार्य प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें। **(कार्यवाही–संबंधित डूडा)**

सूचना का अधिकार अधिनियम –2005

मासिक समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त में यह निर्देशित किया गया था कि सभी जनपद के जनसूचना अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर जनपदों में प्राप्त आवेदन पत्रों पर समयानुसार आवश्यक कार्यवाही करें, अन्तरण के प्रकरणों को निर्धारित समयावधि के अन्दर सम्बन्धित विभाग को अन्तरित कर दें। जनपदों को यह भी निर्देशित किया गया था कि प्रत्येक माह में प्राप्त आवेदन पत्रों एवं कृत कार्यवाही

का विवरण नियमित रूप से अभिकरण मुख्यालय पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। खेद का विषय है कि जनपदों द्वारा अपेक्षित सूचना प्रेषित नहीं की गयी है। अभिकरण मुख्यालय पर अनापेक्षित प्रथम अपीलों के योजित होने के परिप्रेक्ष्य में यह निर्देश दिये गये कि जनपद स्तर से यथा समय आवेदन पत्रों का निस्तारण न किये जाने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हो रही है। अतः यह निर्देशित किया कि जनसूचना अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर आवेदन पत्रों का यथा समय निस्तारण करें।

(कार्यवाही–जनसूचना अधिकारी / नोडल अधिकारी जनसूचना, सूडा)

जनसुनवाई (आई0जी0आर0एस0) –

समीक्षा बैठक में **आई0जी0आर0एस0** प्रणाली के अन्तर्गत परियोजना अधिकारियों को जनसुनवाई से सम्बन्धित अन्तरित / लम्बित प्रकरणों को एक सप्ताह में निस्तारण किये जाने के निर्देश दिये गये। जनसुनवाई से सम्बन्धित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के दृष्टिगत सुस्पष्ट आख्या उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही–संबंधित डूडा / सूडा)

उक्त के अतिरिक्त समीक्षा बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर जनपद स्तर से किस प्रकार लाभार्थी भुगतान हेतु लाभार्थियों की सूची पोर्टल पर अपलोड कर सूडा मुख्यालय को भुगतान की कार्यवाही हेतु अग्रसारित किया जाना है।

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
निदेशक

राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उत्तर प्रदेश

पत्रांक– 289 **/110/तीन/97 Vol-VII** **दिनांक–** 26/04/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
3. निदेशक कैम्प / अपर निदेशक कैम्प वित्त नियंत्रक कैम्प, सूडा।
4. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
5. निदेशक, सी एण्ड डी0एस0, जल निगम, उ0प्र0।
6. सूडा के समस्त अधिकारीगण व समस्त पटलप्रभारी को अनुपालनार्थ।
7. समस्त सिटी प्रोजेक्ट आफिसर, एन0यू0एल0एम0 शहर।
8. समस्त परियोजना अधिकारी / सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
9. श्री योगेश आदित्य, सहा0परि0अधि0 / वेब मास्टर, सूडा को सूडा की वेबसाइट **www.sudaup.org** पर अपलोड करने हेतु।

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
निदेशक